महत्वपूर्ण

संख्या- 02/2016/ 100 /एक-4-2016 -रा-4

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2016

विषय:-समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जन-सुनवायी के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार के वर्ष 2015-16 के विकास एजेन्डा क तहत लोक शिकायत अनुभाग-5 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रभावी शिकायत प्रबंधन, निवारण और निगरानी के लिए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Greivance Redressal System) जन-सुनवायी का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न शिकायत प्रणालियों को एकीकृत करके jansunwai.up.nic.in पर समाहित किया गया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों एवं शासन/ विभागों/ शासकीय कार्यालयों के बीच आसानी एवं पारदर्शी तरीके से संवाद हो सकेगा। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे तथा सम्बंधित अधिकारियों को निस्तारण एवं अनुश्रवण की सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या-01/2016/01/ चौंतीस-लो0 शि0-05/2016 दिनांक-16 जनवरी, 2016 द्वारा दिनांक-25जनवरी, 2016 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो आपको सम्बोधित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जन-सुनवायी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय। विभागाध्यक्ष एवं मण्डल स्तर पर भी इस प्रणाली को 20 फरवरी, 2016 से लागू किये जाने की पूर्ण तैयारी कर ली जाय। प्रत्येक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: अनुरोध है कि शासनादेश संख्या-01/2016/01/चौंतीस-लो0शि0-05/2016 दिनांक-16 जनवरी, 2016 के निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-02/100(1)/एक-2016,-तददिनांक।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग'-14 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित शासनादेश संख्या-01/2016/01/चौंतीस-लो0शि0-05/2016 दिनांक-16 जनवरी, 2016 के निर्देशों का राजस्व विभाग में पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।